

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री मदन प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के विरुद्ध राष्ट्रीय सम विकास योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता के आलोक में विभागीय प्रदेश झापांक- 3573 दिनांक- 20.12.2008 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प झापांक-3619 दिनांक-24.12.2008 द्वारा सिविल सेवाएँ वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

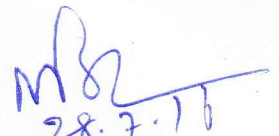
2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त पूर्व में श्री सिंह को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर तत्कालीन विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया, परन्तु उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका।

3. श्री सिंह के दिनांक- 31.08.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप इस कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी में संपरिवर्तित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, परन्तु इसे भी तत्कालीन सलाहकार महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

4. इसी बीच दिनांक- 19.01.2014 को श्री सिंह की मृत्यु हो गयी है। नियमानुसार मृत व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है।

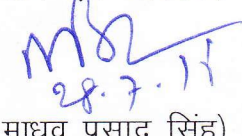
5. उपरोक्त के आलोक में स्व० सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इनके निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा।

6. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक : 3919 राँची/दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव